

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एसीपी/सा.01-01279/जोन-उदयपुर/2023/

दिनांक:-

--:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (युप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी/ रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/प्रसाविका, जिन्होंने 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1.	आशा रीत, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बांसवाडा	14.09.2011	14.09.2020 09 वर्षीय	एल-08	एल-10
2.	चमेली निनामा, नर्सिंग ऑफिसर	बांसवाडा	11.08.2009	11.08.2021 09 वर्षीय	एल-11	एल-12
3.	कान्ता कटारा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बांसवाडा	13.09.2011	13.09.2020 09 वर्षीय	एल-08	एल-10
4.	सुमित्रा सनादय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	चित्तौडगढ	01.08.1995	01.08.2022 27 वर्षीय	एल-11	एल-12
5.	रेमाथम्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	चित्तौडगढ	05.06.1995	05.06.2022 27 वर्षीय	एल-11	एल-12
6.	परवोना खिलज प्रसाविका	उदयपुर	20.01.1996	20.01.2023 27 वर्षीय	एल-11	एल-12
7.	रमीला नगोमा नर्सिंग ऑफिसर	उदयपुर	11.08.2009	11.08.2018 09 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12
8.	ज्योति जोशी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	डूंगरपुर	11.04.2012	11.04.2021 09 वर्षीय	एल-08	एल-10

नोट:- कम संख्या 2 पर अंकित कार्मिका के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण इनके द्वारा 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय एसीपी का लाभ 11.08.2018 के स्थान पर 11.08.2021 को देय होगा।

यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान है तो उक्त आदेश नियमानुसार उन पर लागू नहीं होगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 08-09-2023

क्रमांक:-नर्सिंग/एसीपी/सा.01-01279/जोन-उदयपुर/2023/369

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोग-उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/डूंगरपुर/चित्तौडगढ।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh

Kumar Nawal

Designation: Director

Date :07-09-2023 06:22:22